

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2011

आय-कर

का.आ. 1497(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 के उप-नियम (3) के परंतुक में, खंड (क) और खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) कोई फर्म, जिसे प्ररूप आ.क.वि.-5 में विवरणी देना अपेक्षित है या हिन्दु अविभक्त कुटुंब जिसे आ.क.वि.-4 में विवरणी देना अपेक्षित है और जिसे धारा 44कख के उपबंध लागू होते हैं, निर्धारण वर्ष 2011-12 और पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों के लिए खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी देगा ;”

[अधिसूचना सं. 37/2011/फा. सं. 149/68/2011-एसओ (टीपीएल)]

आशीष मोहन्ती, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (पांचवाँ संशोधन) नियम, 2011 संख्यांक का.आ. 1214(अ), तारीख 26-5-2011 द्वारा किया गया।